



प्रेस नोट

सराहनीय कार्य कानपुर देहात

दिनांक- 16.05.2025

- ❖ महिला सम्बन्धी अपराधों पर अंकुश लगाने हेतु कानपुर देहात पुलिस द्वारा की जा रही कड़ी कार्यवाही।
- ❖ नाबालिग बालिका के साथ सामूहिक दुष्कर्म की घटना कारित करने वाले 02 नफर अभियुक्तगण को थाना रनियाँ पुलिस द्वारा किया गया गिरफ्तार।
- ❖ थाना रनियाँ पर पंजीकृत मु0अ0सं0 0077/2025 धारा 70(2)/126(2)/115(2)/351(3) बीएनएस व धारा 4(2) पॉक्सो एक्ट में वांछित थे, अभियुक्त।

कृपया अवगत कराना है कि अपर पुलिस महानिदेशक, कानपुर जोन, कानपुर, श्री आलोक सिंह, पुलिस उपमहानिरीक्षक, कानपुर रेन्ज, कानपुर, श्री हरीश चन्दर के कुशल मार्गदर्शन में व पुलिस अधीक्षक कानपुर देहात श्री अरविन्द मिश्र के निर्देशन में जनपद कानपुर देहात में अपराध नियन्त्रण की दिशा में महिला सम्बन्धी अपराधों की रोकथाम हेतु चलाये जा रहे विशेष अभियान के क्रम में, दिनांक 12.05.2025 को वादी मुकदमा द्वारा दी गयी लिखित तहरीर के आधार पर थाना रनियाँ पर मु0अ0सं0 0077/2025 धारा 75(2)/126(2)/115(2)/351(3) बीएनएस व 7/8 पॉक्सो एक्ट बनाम 1-अंशू पाठक पुत्र पप्पू पाठक 2- विमल शर्मा पुत्र रज्जन शर्मा निवासी गण ग्राम चिरौरा थाना रनियाँ जनपद कानपुर देहात पंजीकृत किया गया था। मुकदमा उपरोक्त में विवेचना के क्रम में साक्ष्य संकलन के आधार धारा 75/(2) बीएनएस व 7/8 पॉक्सो एक्ट का लोप करके धारा 70(2) बीएनएस व 4(2) पॉक्सो एक्ट की बढोत्तरी की गयी। थाना रनियाँ पुलिस द्वारा मुकदमा उपरोक्त में त्वरित कार्यवाही कर वांछित अभियुक्तगण 1-अंशू पाठक पुत्र महेन्द्र कुमार उर्फ पप्पू पाठक 2- विमल शर्मा पुत्र रज्जन शर्मा निवासी गण ग्राम चिरौरा थाना रनियाँ जनपद कानपुर देहात को मुखबिर की सूचना पर आज दिनांक 16.05.2025 को समय 12.35 बजे राजेन्द्रा पुल के नीचे से थाना क्षेत्र रनियाँ जनपद कानपुर देहात से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारशुदा अभियुक्तगण को नियमानुसार माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया।

गिरफ्तारशुदा अभियुक्तगण का नाम व पता का विवरण -

1. अंशू पाठक पुत्र महेन्द्र कुमार उर्फ पप्पू पाठक ग्राम चिरौरा थाना रनियाँ जनपद कानपुर देहात।
2. विमल शर्मा पुत्र रज्जन शर्मा निवासी ग्राम चिरौरा थाना रनियाँ जनपद कानपुर देहात।

आपराधिक इतिहास अभियुक्त विमल शर्मा-

- 1-मु0अ0सं0 691/2013 धारा 354/504/506 भा0द0वि0 थाना अकबरपुर जनपद कानपुर देहात।
- 2-मु0अ0सं0 171/2014 धारा 3/4 गुण्डा अधिनियम थाना अकबरपुर जनपद कानपुर देहात।

गिरफ्तार करने वाली थाना रनियाँ पुलिस टीम-

1. उ0नि0 श्री रंजीत सिंह
2. का0 201 नरेन्द्र राना
3. का0 39 प्रवेश कुमार